न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 195 / 2021 प्रार्थनापत्र

1.मामादेव स्थान, ग्राम तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये पुजारी जगुराम पुत्र श्री रामा जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. समस्त ग्रामवासीयान् तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये प्रतिनिधि–

1– केशुराम पुत्र श्री लच्छुराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
2– आशुराम पुत्र श्री लच्छुराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
3– मेवाराम पुत्र श्री देभाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
4– भज्जाराम पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
5– सुवा लाल पुत्र श्री गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
6– मांगू पुत्र श्री लच्छू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
7– लक्ष्मण पुत्र श्री भैरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया
8– जवाहरलाल पुत्र श्री जगुराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 131(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थनापत्र बाबत प्रचलित रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाने बाबत्

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थी

2–पेरोकार सरकार ––विपक्षी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 09:52:34 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 21 / 12 / 2021

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 131(ए) राज0 ...न्सी एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण तगडिया तहसील करेड़ा जिला

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वाड़ा के रहने वाले है तथा प्रार्थी संख्या 01 मामा देह स्थान तगडिया का पुजारी है तथा ग्राम डिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 253 मे देव स्थान का मन्दिर बना हुआ है, जिससे पूरे ग्रामवासीयान् व जन मानस की आस्था का है तथा हर वर्ष यहां पर रात्रि जागरण व भजन संध्या के कार्यक्रम भी होते है व मेला आदि भी ते है। उक्त मामादेव स्थान पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि ग्राम तगडिया की आबादी से होते हुए बिलानाम सरकारी आराजी नमबर 251, 252, 253 से होकर आते जाते है, जो ा मौके पर विद्यमान होकर 16 फीट लगभग चौडाई मे होकर दोनो तरफ पत्थर का कोट कर है। उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता है, जिसे जनहित मे राजस्व रेकार्ड मे प्रचलित रास्ते के रूप मे कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर विपक्षी को सुनवाई हेतु न नोटिस जारी किये व विपक्षी की तामिल के पश्चात विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी, मे प्रचलित रास्ता दर्शाया गया व साथ ही आराजी नम्बर 782/252 मे प्रचलित रास्ता पाया व खातेदार जब्बर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह राजपूत की कृषि भूमि मे होना बताया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र र्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ोकन किया , प्रार्थी सरहद तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला वाड़ा मे प्रार्थी मामादेह स्थान पर आने जाने का प्रचलित रास्ता जो कि बिलानाम सरकारी जी नम्बर 251,252, 253 एवं जब्बर सिंह की आराजी नम्बर 782/252 मे प्रचलित रास्ता हेतार्थ होने से उक्त प्रचलित रास्ते को दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त न के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी मामादेह स्थान पर आने जाने का प्रचलित ा जो कि बिलानाम सरकारी आराजी नम्बर 251,252, 253 एवं जब्बर सिंह की आराजी नम्बर /252 मे प्रचलित रास्ता 16 फीट को प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट राजस्व नक्शे अनुसार स्व रेकार्ड मे प्रचलित रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, ड़ा को तहरीर लिखी जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 09:52:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)